राजस्थान विधान सभा

सातवीं बैठक, दिनांक २१ अक्टूबर, १६५२

सदन का कार्य ८ बज कर ४५ मिनट पर प्रारम्भ हुआ ।

(श्री अध्यक्ष पदासीन)

——::o::——

अविश्वास के प्रस्ताव पर वाद-विवाद (सन्तत)

Mr. Speaker:—No-confidence motion. Further discussion on the following motion moved by Shri Inder Nath Modi on the 17th October, 1952:—

"In the opinion of this House the Ministry formed by the Congress Party has lost the confidence of the House."

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—माननीय अध्यक्ष, आज की बैठक की कार्यवाही आरम्भ की जावे इसके पहले में आपके समक्ष, आपकी आज्ञा, से एक निवेदन पेश करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि जो कर्तव्य मुझे पालन करना पड़ रहा है वह बड़ा ही अप्रिय है किन्तु इस बहस–मुबाहसे के दरमियान जो नीति आज तक रही है उसको आंखों से ओझल नहीं किया जा सकता । गत १० तारीख को यह प्रस्ताव इजाजत के लिये इस हाउस के समक्ष आया था और उस रोज १७ तारीख बहस के लिये नियत की गई थी । १८, १९ तथा २० तारीख की छुट्टियें थीं । सभी का यह विचार था कि १७ तारीख को ही इस प्रस्ताव पर बहस खत्म की जावेगी और इसी विचार से, अध्यक्ष महोदय आपने भी दोनों मुख्य पार्टियों के बीच, जो अलग अलग सदस्य इस प्रस्ताव पर बोलना चाहते थे, उनके लिये समय का विभाजन किया था और दूसरे लोग भी जो बोलना चाहते थे उनके लिये भी समय नियत किया था ।

श्री अध्यक्ष:—I want to know on what point you want to speak ?

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—मैं अपने पोइन्ट पर आ रहा हूं । इससे पहले मुझे इजाजत दी जावे कि मैं, जो बातें मेरे दिल में हैं और जो मैं अपनी पार्टी की तरफ से आपके सामने रखूं, अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में दो चार मिनिट से ज्यादा नहीं लेना चाहता ।

श्री जयनारायण व्यास:—On a point of order, Sir. Is the Hon'ble gentleman making a speech or raising a point of order? I think the Hon'ble Mr. Paliwal is on the floor of the House and the Hon'ble Deputy Leader of the Opposition can raise only a point of order. A speech cannot be permitted, I submit, Sir.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—अध्यक्ष महोदय, जो बातें अभी आपके सामने मेरे सम्बन्ध में रखी गई हैं वे दुरुस्त नहीं हैं, क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री खड़े ही नहीं हुए उससे पहले ही मैंने आपसे निवेदन किया कि मुझे एक छोटा सा स्टेटमेंट आपके सामने पेश करना है।

श्री टीकाराम पालीवाल:—मैं खड़ा हो रहा था। मैंने यह समझा कि आप एक दो शब्द बोलना चाहते हैं। इसलिये मैंने अच्छा समझा कि मैं आपको इन्टरफिअर नहीं करूं। किन्तु उसके मायने यह तो नहीं लिये जावें कि मैं बोलना नहीं चाहता था। मैं यह कहने को था कि दरअसल यह मेरे बोलने का टर्न (मौका) था और उसके बाद आपको वक्त मिलेगा। डिप्टी लीडर महोदय को बोलने का वक्त बहुत मिलेगा।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री के समय में दखल नहीं देना चाहता हूं।......

श्री अध्यक्ष:—I want to make one thing clear. The Chief Minister was replying to the debate yesterday, I mean, the other day and his speech is in continuation of that speech. He is on the floor of the House and if the Hon'ble Member wants to say some thing, I allow him to say.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—जब माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपना निर्णय दे दिया है तो फिर कोई बात नहीं रहती.. ....

मेरा यह निवेदन था कि गत १७ तारीख को समय का विभाजन हुआ। और उसके अनुसार अपने भाषण हमने सीमित किये। हम जानते हैं कि हमें कितनी मुसीबतें हुई; अपने भाषणों को सीमित करने में। हमारे कई मित्र तो अपने विचार भी प्रकट नहीं कर सके और उस सीमित समय में हमें अपने भाषणों को खत्म करना पड़ा।

मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है, अध्यक्ष महोदय, कि वह बात राज्य पक्ष की ओर से नहीं बरती गई। उनको कहीं ज्यादा समय मिला और जो घोषणा आपने की थी, उसका उन्होंने पालन नहीं किया और मैं समझता हूं कि उन्होंने किसी न किसी बहाने से समय को लंबा करना चाहा।

मेरा यह निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, कि जो बर्ताव हमारे साथ राज्य पक्ष की ओर से किया गया वह किसी भी तरह वांछनीय और वैधानिक नहीं कहा जा सकता। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो परम्पराएं उस रोज डिबेट के समय इस हाउस में कायम हुई हैं, वो कभी शोभा की बात नहीं हैं।

हम आपकी ओर हमेशा इसलिए देखते हैं और अब भी देखना चाहते हैं कि हमारे अधिकार चाहे वे उधर (Treasury Benches) बैठे हुए या इधर (Opposition) बैठे हुए सदस्यों के हों, उनकी रक्षा होनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाय तब तक कोई वैधानिकता या न्याय को आशा नहीं की जा सकती।

श्री मथुरादास माथुर:—On a point of order, Sir. Because Mr. Modi is raising a point of order, he has the right to raise a point of order. But he is repeating only what he said in the last meeting of the House and I think he is not adding anything new to what he has already said. Mr. Speaker, Sir, you have already given a ruling on the point of order raised by Mr. Modi. He has now challenged that ruling and is not presenting any new facts before the House for the re-consideration of the Speaker. I fear this is very improper and is an encroachment on the privileges of the Members. I submit that if there is anything new, that he wants to say, he must state it.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:— I am coming to the new point. You must have some patience.

श्री अध्यक्ष:—The more the delay the more you are disturbed.

(ट्रेजरी बैन्चेज की ओर से हंसी)

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमने इस सारी स्थिति पर बहुत गंभीरता पूर्वक सोचा है और हम इस निश्चय पर पहुंचे हैं, जिसे अर्ज करने में मुझे बड़ा दुःख हो रहा है कि इस डिबेट में शरीक होने से हमें न्याय की कोई आशा इस हाउस से नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस को सूचित करना चाहता हूं कि उस ओर बैठे हुए स्दस्यों के लिये यह शोभा की बात नहीं है कि जो बर्ताव इस डिबेट के दौरान में हमारे साथ किया जा रहा है वह मजाक की व हंसने की बात नहीं है। ये सारी बातें सारी जनता जान गई है।

Shri Jai Narain Vyas:—On a point of order, Sir. If there is any point of order, he should be heard. The Hon'ble gentleman has made out no new point and I think it would be unfair to the House, Sir, to allow him to make speeches when another member is on the floor of the House; I submit humbly, Sir.

श्री अध्यक्ष:-- (श्री मोदी को सम्बोधित करते हुए)You should take leave of the member who is on the floor of the House.

श्री टीकाराम पालीवाल:--I have to make a statement before anybody else says anything. I am on the floor of the House.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--मैं समझता हूं माननीय मित्र उतावले होने के बजाय समझने की कोशिश करते तो अच्छा था। इस डिबेट के दौरान में आपके इस रवैये को देखकर और जो परम्परा आप कायम कर रहे हैं उससे हम ऐलान करते हैं कि अब हम इस डिबेट में भाग लेने को हर्गिज तय्यार नहीं हैं।

श्री टीकाराम पालीवाल:—श्री अध्यक्ष महोदय······

श्री जसवन्तसिंह:--क्या मुख्य मंत्रीजी भाषण शुरू कर रहे हैं? मैं····

श्री टीकाराम पालीवाल:--(वक्तव्य जारी रखते हुए) विरोधी दल के उप-नेता ने एक काफी अच्छा भाषण दे डाला है। १७ तारीख को जो यहां बहस हुई उसको लेकर मुख्य शिकायतें उनकी यह रही हैं कि आपकी ओर से कुछ समय को निर्धारित किया गया और उन्होंने बड़ी उदारता पूर्वक अपने भाषण को रखा। शिकायत यह है कि इस ओर से भाषणों में कुछ अधिक समय लिया और कुछ अधिक व्यक्ति भी बोले। यह चीज विरोधी दल के उप-नेता ने आज नई नहीं कही है। उस दिन १७ तारीख को जब बहस हो रही थी तब भी यही प्रश्न उठाया गया था। हाउस के सदस्यों को याद होगा कि दूसरे दल की ओर से इस दल के कुछ सदस्यों के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप हुए थे जो इस सदन के आंगन पर नहीं आने चाहिए। पर वे आक्षेप आये और उन आक्षेपों का उत्तर देने के लिए संबन्धित व्यक्तियों को जरूर बोलना पडा। आपने, उस समय बोलने की इजाजत देना उचित समझ कर, इजाजत दी। फिर मैंने उस समय निवेदन किया था कि विरोधी दल की ओर से कुछ और सदस्य बोलना चाहें तो इस ओर से किसी को ऐतराज नहीं होगा। पर उधर से कुछ लोग अधिक नहीं बोले जब कि बोलने की पूरी छूट थी। आज उसी प्रश्न को लेकर बहस करना कि फलां फलां सज्जन ज्यादा बोल गए, कोई अर्थ नहीं रखता।

लेकिन फिर भी यह शिकायत इतनी बड़ी शिकायत है कि वे आज की कार्यवाही में भाग नहीं लेना चाहते हैं। इसका कारण, अध्यक्ष महोदय, साफ है; बुद्धिमान लोग समझ सकते हैं। इसका कारण यह नहीं हो सकता कि इस ओर से एक से अधिक सदस्य बोले हैं और उस ओर से सिर्फ एक ही सदस्य बोले हैं। इसका कारण तो कोई दूसरा ही है जिसे मैं समझता हूं और सारा सदन समझता है सभी देखने सुनने वाले समझते हैं। यह कहा जाता है कि उस दिन जान बूझ कर समय लेने की कोशिश की गई थी.....

(विरोधी पक्ष की ओर से–जरूर–जरूर)

श्री टीकाराम पालीवाल:—मेरा ख्याल है कि पब्लिक मीटिंग्ज में जो बात हम देखते हैं, जोर से चिल्लाने की, वही यहां हो रही है। यह स्थान उस तरह का नहीं है। यहां जो आर्ग्युमेन्ट्स हों वे तर्क संगत होने चाहिये, सिद्धान्तों को लेकर होने चाहिये। विरोधी दल के मित्र शायद यह सोचते हैं कि उस दिन २ या ३ मित्र इधर बैठने वाले उनका साथ देते इसलिये उस दिन खतम नहीं

करने दिया गया, पर बात वास्तव में ऐसी नहीं थी। हमने यह सोचा था कि विरोधी पक्ष वाले किसी खास नीति का प्रतिपादन करेंगे और बड़े तथ्यों के आधार पर बोलेंगे; इसलिये हमने कहा था कि हमारी तरफ के दो ही आदमी बोलेंगे लेकिन जब कुछ व्यक्तिगत बातें आने लगी तो हमारे लिये उनको जवाब देना जरूरी हो गया; इसलिये बोलने वालों की संख्या अधिक हो गई और समय ज्यादा लग गया........

श्री अध्यक्षः--You should continue your speech rather than wasting your time.

श्री टीकाराम पालीवालः — मैं आज साफ कहना चाहता हूं और शुरू में भी मैंने निवेदन किया था कि जिस समय अविश्वास का प्रस्ताव, जिस जोश के साथ लाया गया था उसी समय उनको समझना चाहिये था कि जो उनका साथ देने वाले थे उनसे हमारे आपस में मत-भेद हो सकता है लेकिन हमारा यह आपसी मत-भेद हमको इतना दूर नहीं ले जा सकता कि हम मौलिक सिद्धान्तों में एक दूसरे से दूर हो जायं।

श्री इन्द्रनाथ मोदीः—मुख्य मंत्रीजी विषय से दूर जारहे हैं। जो बात हाउस के सामने रखी है उसमें हाउस की परम्परा है। और कोई बात पैदा नहीं होती इसलिये निवेदन है कि जब वे ऐसी बातें कहते हैं तो हमें भी बोलने का मौका दिया जाय। १७ तारीख को क्या हालत थी वह आप को ही मालूम नहीं है बल्कि सारे हिन्दुस्तान को मालूम है।

श्री अध्यक्षः--I do not want to have any debate on this point. I would like the Chief Minister to continue his reply to the debate on the "No-confidence Motion".

श्री जसवन्तसिंहः— On a point of order, Sir,........

श्री अध्यक्षः—(मुख्य मंत्री को सम्बोधित करते हुए)-Continue......

श्री जसवन्तसिंहः— If a point of order is not allowed........

श्री अध्यक्षः— There should be no discussion on this point.

श्री टीकाराम पालीवालः-- Before I say something.... ....

श्री जसवन्तसिंहः- Since my privilege is not allowed in this House, we need not stay and I would call upon the Sanyukta—Dal to walk out.

(कुछ सदस्यों के अतिरिक्त विरोधी पक्ष के अन्य सदस्य ९ बजकर ७ मिनिट पर सदन छोड़कर चले गये)

श्री टीकाराम पालीवाल:–We knew it already. अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है इस बात का कि वे मेरी बात को समझ नहीं पाये हैं। इससे पहले कि मैं अपना पिछले दिन का भाषण प्रारम्भ करूं यह निवेदन करूंगा कि विरोधी दल ने इस सदन में सरकार के प्रति जो अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया इस सम्बन्ध में उनके व्यवहार से ऐसा लगता है कि वे इस बात को समझ गये हैं कि उनके पास इस सरकार के प्रति इस प्रकार का अविश्वास का प्रस्ताव पेश करने का पर्याप्त कारण था ही नहीं। विरोधी दल के जिन सज्जन ने प्रस्ताव पेश किया था उन्होंने अपनी स्थिति की कमजोरी को महसूस कर लिया है और अपने प्रस्ताव के आधार-विहीन होने की स्थिति को समझ लिया है और उन्होंने यह अनुभव कर लिया है कि सदन आज उनका साथ नहीं देगा और यदि सदन आज उनका साथ नहीं देता है तो वे कैसे कल्पना करते हैं कि चार दिन पहले सदन उनका साथ देता। मैंने पहले ही कहा था कि आपस के मत-भेद के कारण आप यह अन्दाजा नहीं लगावें कि जिन सिद्धान्तों को वे अब तक मानते आये हैं उनको उन्होंने छोड़ दिया है और वे आपके सिद्धान्तों को मानने लग गये हैं। मैं समझता हूं कि उन्होंने मेरी इस बात पर ध्यान दिया, उसे समझा और उस पर गौर किया और मैं मानता हूं कि उसके परिणाम स्वरूप आज वे इस बात का अनुभव करने लगे-सदन में आने के पहिले मैंने सुना था कि विरोधी दल आज कार्यवाही में भाग न लेकर वाक–आउट करेगा। यदि उस दिन की कार्यवाही ऐसी होती, जिसके कारण विरोधी दल को आज की कार्यवाही में भाग न लेना जरूरी लगता तो मेरा ख्याल है कि यह उसी दिन करते तो ज्यादा अच्छा होता। उसी दिन वाक–आउट करने का समय था। यदि इस पक्ष का व्यवहार उचित नहीं था तो उसके खिलाफ उसी दिन कुछ कार्यवाही की जा सकती थी। हमारे थोड़े से आपसी मत-भेद के कारण आप बड़ी चीज बनाना चाहते थे। आपको उससे सहायता मिल जाती, ऐसा सोचना ही अनावश्यक था। जब सदन की बैठक स्थगित हो गई तो उनको अपनी बात सोचने का मौका मिला और तथ्य पर विचार करने का मौका मिला। आज जब स्थिति मजबूत नहीं मालूम हुई तो वाक-आउट करने को तैयार हो गये। यह गलत परम्परा डाली जाती है। बहस भी होती है, प्रस्ताव भी आते हैं। सफल भी होते हैं तो गिरते भी हैं; लेकिन केवल बहाना करके सदन छोड़ जाना यह सदन के प्रति अनादर करना है। यह तथ्य है जो विरोधी दल के नेता और उप-नेता को सोचना चाहिये।

जहां वे परम्पराओं की दुहाई देते हैं, वे स्वयम् परम्पराओं को तोड़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि अच्छा होता यदि, जो पोइन्ट्स उन्होंने रेज किये थे उनका वे उत्तर भी सुनते। विरोधी दल ने जो रवैये अख्तियार किये हैं उनसे सिद्ध होता है कि न तो उनमें ताकत है, इस अविश्वास के प्रस्ताव को सफल बनाने में और न विरोधी दल के उपनेता के पास कोई देने को उत्तर है। विरोधी दल के उपनेता ने यह भी अनुभव कर लिया है कि जो वे खुद कह रहे हैं उनके पास उनका कोई उत्तर नहीं होगा। अतः बचने के लिये उन्होंने यहां से इस सदन से वाक–आउट कर लिया। फिर भी जो पोइन्ट्स उन्होंने रेज किये हैं उनको थोड़ा सा, संक्षिप्त तौर से जवाब देना मैंने जरूरी समझा है। अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र यहां इस समय

नही हैं । मुझे खुशी होती यदि वे मुझे सुनते, इससे मेरे प्रति भी न्याय होता, सरकार के प्रति भी न्याय होता और इस हाउस के प्रति भी आदर होता। मेरी इच्छा थी कि, जो पोइन्टस उन्होंने रेज किये उनके जवाब सुनते । उन्होंने हमारे प्रति भी न्याय करना उचित नहीं समझा और हाउस के प्रति भी सम्मान प्रदर्शित करना उचित नहीं समझा। जैसा मैंने निवेदन किया, अध्यक्ष महोदय, मैं और मेरे साथी यह समझ रहे थे कि जब अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया गया है तो कोई नीति का मतभेद होगा, कोई गंभीर बात होगी । और वक्ताओं की बात ही क्या कहूं स्वयं अविश्वास के प्रस्ताव को पेश करने वाले विरोधी दल के उपनेता ने अपने प्रस्ताव के समर्थन में जो बाते कहीं वे भी छोटी छोटी थीं। उन्होंने कहा कि जवाई बांध का काम ठीक नहीं चल रहा है। यह वही चीज थी जिस पर कि श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण पर बहस के दौरान में जो कुछ उनको कहना था कह लिया था और मैंने भी उत्तर दे दिया था। सदन भी संतुष्ट होगया था और प्रस्ताव भी पास कर दिया गया था; कोई बड़ी बात नहीं थी। जवाई के सम्बन्ध में, मुझे याद पड़ता है कि हमारे दल के नेता ने कुछ बातें बताई थीं। उन्होंने हमें बताया था कि जवाई बांध की स्कीम राजस्थान बनने से पूर्व भूतपूर्व जोधपुर सरकार द्वारा चलाई गई थी। उस समय से अब तक कई कठिनाइयें जागीरदार महोदय की ओर से आती रही हैं। उसके जो ओरिजनल एस्टीमेट्स थे उनमें परिवर्तन करना पड़ा; इसलिए भी इसमें देर लगी। वर्तमान सरकार, यह मानते हुए भी कि यह कोई रेम्युनरेटिव स्कीम नहीं है, तब भी उसे जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रयत्न कर रही है। जब राज प्रमुख के भाषण पर बहस होरही थी तो मैंने अपने भाषण में विरोधी दल के उपनेता से निवेदन किया था कि वे स्वयम् जाकर देखें कि किस बात की कमी रही है। जब मैंने स्वयम् उसे नहीं देखा था तो मुझे भी संतोष नहीं था, किन्तु जब मैंने उसे स्वयं देख लिया तो मुझे संतोष हो गया। विरोधी दल के उपनेता ने कहा था कि इस अविश्वास के प्रस्ताव पर यों ही ५–६ दिन का समय चला गया और समय का दुरुपयोग हुआ। तो मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि यदि वे इस पांच छः दिन के समय में जवाई बांध देखने का प्रयत्न करते और जो दूसरे प्रश्न उन्होंने उठाये हैं उनको सुलझाने का प्रयत्न करते तो वे उस समय का सदुपयोग करते और कोई तथ्यहीन प्रश्न उठाने का मौका नहीं आता। जवाई का प्रश्न उन प्रश्नों में से एक है।

एक दूसरा प्रश्न विरोधी दल के उपनेता ने जो उठाया था, अविश्वास के प्रस्ताव के समर्थन में और जो उनकी दृष्टि से बहुत बड़ा प्रश्न था और और वह यह था जैसा कि उन्होंने कहा कि पिछले सेशन में कई एक सुझाव दिये किन्तु सरकार ने कुछ नहीं किया। सबसे पहले उन्होंने जो मेन्शन किया किया था वह है एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट के बारे में। पिछले सेशन में उन्होंने कहा था कि तीन चार साल की एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट निकलनी चाहिए थी; किन्तु इस ओर सरकार ने कुछ नहीं किया। मुझे खेद है अध्यक्ष महोदय, कि उन्होंने यह तो याद रखा कि इस विषय में सुझाव दिया गया है किन्तु वह सुझाव देने के बाद आज तक, जो बीच का समय निकला है, उसमें बहुत कुछ बातचीत हो सकती थी, मुझसे नहीं मिले यों तो विरोधी दल के उपनेता कई बार मुझसे मिले, डाक का

सम्बन्ध भी जोधपुर और जयपुर के बीच प्रतिदिन बना हुआ है. अविश्वास का प्रस्ताव पेश करने के पहले भी वे मुझ से मिले थे और अविश्वास के प्रस्ताव पेश करने के बाद भी, जो समय मिला था, उसमें भी हम मिल सकते थे। यदि वे मुझसे पूछ लेते और इस विषय में चर्चा कर लेते तो यह बहस करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सदन की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में हम काम कर रहे हैं; काफी काम हो भी चुका है। यह तो माना जायगा कि राजस्थान सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट नहीं बनी है । फिर भी सरकार ने उसे हाथ में ले लिया था। दो भागों में उसे विभक्त किया गया है । एक भाग का ड्राफ्ट तैयार होकर आ गया है; गवर्नमेंट उसे स्कुटिनाइज कर रही है । दूसरा तैयार हो रहा है । यदि इस सम्बन्ध में पहले ही मालूम कर लेते तो विरोध दल के उपनेता यह प्रश्न नहीं उठाते । लेकिन उनकी शिकायत है कि जो कुछ हम रखते हैं वह तथ्यहीन हैं । जिस दिन उन्होंने सुझाव पेश किया था उसी दिन कई तथ्य की बातें थी किन्तु उनको जाने बिना क्रिटिसिज्म कर देना कोई तथ्य की बात नहीं है। इसी प्रकार कई और प्रश्न उठाये गये हैं ।

न्याय और शासन का अलग करने का उन्होंने सुझाव दिया है और कहा गया है कि वह अलग अलग नहीं किये गये हैं । वे भूल जाते हैं उस बात को कि अभी राजस्थान नया २ ही प्रान्त बना है । कई एक प्रान्त ऐसे हैं जिनमें शासन कायम हुआ था जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, हमारे मुकाबले में, किन्तु वे भी हम से अच्छी इस बात को नहीं कर पाये हैं। उन प्रान्तों को न्याय और शासन की व्यवस्था अलग अलग नहीं हुई है, जिस प्रकार से कि चाही जाती है। मेरा निवेदन करना यह है कि उनको कोई हेन्डल चाहिए जिसके सहारे वे किसी बात को क्रिटिसाइज कर सकें । मैं समझता हूं कि वे अपने प्रस्ताव की सारहीनता को समझते थे, वे अपने अविश्वास के प्रस्ताव की विफलता को समझते थे, अतः उन्होंने यह उचित नहीं समझा कि वे इसे सुनने की तकलीफ करें। यदि उनके पास कोई उत्तर नहीं है तो वे एक सच्चे खिलाड़ी की तरह आकर कहें कि हमारे पास इनके जवाब में अब कोई उत्तर देने को नहीं हैं और हम इसे वापिस लेते हैं; लेकिन उन्होंने ऐसा करना पसन्द नही किया ।

वे कई परम्पराएं डालना चाहते हैं, इस हाउस में और आशा करते हैं इस पक्ष से भी कि उनको सही तौर से समझें। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा, कि जहां तक सही परम्पराएं डालने का सवाल है, इस पक्ष की ओर से पूरा प्रयत्न किया गया है और आगे भी किया जावेगा। अगर वे सहयोग देंगे तो उनके सहयोग की कद्र की जावेगी । यदि वे सहयोग नहीं देंगे तो जितना हम कर सकेंगे उतनी ही अच्छी परम्पराएं डालने का प्रयत्न करेंगे और इस प्रान्त को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे।

मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय ! इस प्रस्ताव का एक ही प्रयत्न हो सकता है और वह यह है कि इसे सर्व सम्मति से विफल किया जाय ।

श्री खेतसिंहः--माननीय अध्यक्ष, अगर आप मुझे समय दें तो मैं भी कुछ अपने विचार पेश करूं।

श्री अध्यक्षः--मूवर्स रिप्लाई या उनकी तरफ से ।

श्री खेतसिंहः--अध्यक्ष महोदय, मैं फिलहाल तो संयुक्त दल का सदस्य हूं। इस नाते में भी अपने विचार व्यक्त करूं । जहां तक मैं समझा हूं यह प्रस्ताव जिस रोज सदन में लाया गया था उस रोज संयुक्त दल की स्थिति अच्छी हो रही थी, यह बात किसी से छिपी नहीं है। इसका कारण यह था कि कांग्रेस में से आठ सदस्य हमारी तरफ वोट देने को सहमत होगये थे । आज उन्हीं के वापिस उस तरफ मिल जाने से हमें यह दिन देखना पड़ा है । वे हममें आये; उनकी शक्ति देख कर ही हमने अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया था ।

श्री टीकाराम पालीवालः--प्रस्ताव तो विरोधी दल के उपनेता ने पेश किया था; आपने तो पेश नहीं किया ।

श्री खेतसिंहः--

(अपना भाषण जारी रखते हुए)

मैं इसलिये अपने विचार प्रकट कर रहा हूं कि मेरे सम्बन्ध में सम्भवतः यह ख्याल किया जाए कि मैं यहां क्यों बैठा रह गया ।

मैं जहां तक समझ पाया हूं, अच्छा हमारे लिये यह होता कि हम लोग यहां पर बैठ कर कन्स्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म (ठोस आलोचना) करें और स्पोर्ट्समेन स्पिरिट से अपनी हार जीत को बरदाश्त करें। अगर हम हार जाएं तो हमें उसे सहन करना चाहिये। ओपोजिशन ने जो इतना सख्त कदम, वाक-आउट करने का उठाया, उसे मैं न्याय-संगत नहीं समझता। फिलहाल तक मैं संयुक्त दल का सदस्य हूं और हो सकता है आगे न भी रहूं। संयुक्त-दल के सदस्य के नाते मैं यह कहने को तैयार हूं कि गवर्नमेन्ट में काफी स्लेकनेस रही, काफी गडबडियां रही, जिनकी वजह से अविश्वास का प्रस्ताव हमको सदन में लाना पड़ा; वरना यह जरूरत पैदा ही नहीं होती । वे सदस्य आये और वापिस उधर मिल गये; इसका नतीजा हमने देख लिया । आपने मोशन को गिराने के लिये पूरा प्रयत्न किया और वह गिरा दिया गया ।

अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जवाई बांध के लिए फरमाया था कि माननीय इन्द्रनाथ मोदी ने जो ऐतराज उठाया वह ठीक नहीं था क्योंकि उन्होंने वहां जाकर उसे नहीं देखा । लेकिन मेरी उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उसे वहां जाकर देखा था, उस जगह का उन्होंने निरीक्षण किया था और वे इस सार पर पहुंचे हैं कि वहां बहुत सी गड़बड़ियें हैं। मैं इस विषय में ज्यादा नहीं कह सकता क्योंकि अन्य बातें तो मुख्य मंत्री और इन्द्रनाथजी ही जानें। फिर भी मुझे इस बात से खुशी है कि आपने इस मोशन को गिराया है और अब स्टेबल मिनिस्ट्री, फॉर्म होगी ।

श्री हरिकिशन व्यास:-विथ योर परमिशन, सर, माननीय अध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं दो शब्द कहना चाहता हूं, इस वाक आउट के सिलसिले में। मैं यह बात साफ कर दूं और यह मानता हूं कि १७ तारीख को भाषणों का समय निश्चित करने के सिलसिले में जो अव्यवस्था हुई उसका असर मुझ पर भी पड़ा था; इसलिए इसके खिलाफ नाराजगी मेरी भी है और इस हद तक इस शिकायत के बारे में मेरी भी एक राय है। लेकिन हाउस के सामने ऐसे कुछ मसले आने वाले हैं, जिनपर अपनी राय देना मैं आवश्यक समझता हूं इसलिये नाराजगी को जब्त रखते हुए भी मैं यहां आपके समक्ष मौजूद हूं।

आपने उस दिन इस बात की अनुमति दे दी थी कि जो कायदा लागू है उसको आप रिलेक्स कर देंगे। उसी अनुमति के आधार पर हाउस के सामने जो अविश्वास का प्रस्ताव आया उस प्रस्ताव का उत्तर भी दिया गया। उस सिलसिले में अपनी स्थिति, मैं साफ कर देना चाहता हूं। मैं उस दिन यह कह रहा था कि हुकूमत ने जो कार्यवाहियें की हैं कांग्रेस सरकार ने जो कदम आम लोगों की जिन्दगी के बारे में उठाए हैं, जो वाकियात गुजरते जारहे हैं, अनाज की जो हालत है, सर्विसेज क्लाज की जो स्थिति है, सरकारी मुलाजिमों की जो स्थिति है, हर चीज म, उसने बहुत गलत तरीके का रुख अपनाया है........

श्री टीकाराम पालीवाल:-You will not raise new point.

श्री अध्यक्ष:--You should speak on the motion only.

श्री टीकाराम पालीवाल:--He had already expressed his ideas.

Shri Hari Krishna Vyas:—Mr. Speaker, Sir. I think the ru.. was relaxed and I was permitted to continue my statement.

Mr. Speaker:—No, it was not relaxed.

Shri Hari Krishna Vyas:—I understood that the rule was relaxed. In that case only the time was extended.

Mr. Speaker:—The time was not extended. Only 4 members were allowed to speak for 5 minutes each. Then the Leader of the House was asked to make a reply, and when the Leader of the House makes a reply, then only the mover of the motion has a right to say.

Shri Hari Krishan Vyas:—I understood as you said the other day that the rule for those persons, who had spoken, would be relaxed.

Mr. Speaker:—That had never been accepted.

Shri Tika Ram Paliwal:—That was only before I spoke.

Shri Hari Krishna Vyas:—I thought that the second rule will also be relaxed.

श्री हरिकिशन व्यासः -फिर मैं हाउस का ज्यादा समय न लेता हुआ इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रति मुझे अविश्वास है और करना चाहिये । कांग्रेसी हकूमत विश्वास के काबिल नहीं है । जिन लोगों ने अविश्वास का प्रस्ताव सदन में पेश किया था उनके पास भी कोई ऑल्टरनेटिव, बुनियादी तरीका, नयी वृत्ति, नयी नीति, नया दृष्टिकोण नहीं था; न ही उन्होंने जनता के सामने वह रखा । इसी वजह से कांग्रेस की हकूमत के प्रति पूरी तरह से अविश्वास होते हुए भी सत्ता के लिए जो लड़ाई चल रही है इस प्रश्न पर मैं और मेरे साथी किसी भी तरफ मत देने वाले नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष: -It may not be very necessary for me to say anything regarding the attitude adopted by the Leader of the Opposition in staging a "Walk-out". The step taken by him and the party is obviously based on a very flimsy pretext and all concerned know how flimsy it actually was. Why I want to say something is due to the fact that the Leader of the Opposition and the Opposition Party have not laid down a very healthy convention and practice in taking this extreme step. Since from the speech made by Shri Inder Nath Modi I suspected that there was something like this, which they were proposing to do, I consulted the Leader of the Opposition, Shri Jaswant Singh, with a view to ascertaining what their grievance was and what the point of order was, and whether they had any real grievance in the matter. Shri Jaswant Singh, Leader of the Opposition, however, refused to say anything about it or to point out any grievance. I can say that the Opposition Party had already determined to stage a walk-out on one pretext or the other, irrespective of the fact whether such pretext was a genuine one or a flimsy one. All I can say is that staging a walk-out in this way does not create a healthy convention in the House and I very much regret the attitude of the Opposition in this respect. I appeal to the Members of the House, to those who are here as well as those who are absent, to make every effort to create healthy conventions and conventions which may benefit the dignity of this House.

(विराम)

Now the question before the House is.

"In the opinion of this House the Ministry formed by the Congress party has lost the confidence of the House."

(अस्वीकृत)

श्री अध्यक्षः—The motion is defeated.

विधान-काय

राजस्थान राज्य सुरक्षा विधेयक

(विचार-विमर्श)

श्री टीकाराम पालीवाल:--Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Rajasthan Security of the State Bill, 1952, be taken into consideration.

Mr. Speaker: –May the motion be taken into consideration ?

श्री एच. के. व्यास:--Mr. Speaker, Sir, I rise to oppose this Bill.

श्री अध्यक्ष:--When the Bill comes up for consideration, there will be a discussion over the principles which are laid down in this Bill. If you have to say anything on the principles you can say so.

श्री एच. के. व्यास:–Yes, on the principles Sir, I shall speak.

जो बिल माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा हमारे सामने पेश किया जा रहा है, मैं उसके सिलसिले में यह कहने के लिए खड़ा हूं कि यह बिल राजस्थान के लिए न सिर्फ अनावश्यक ही है, बल्कि सच्च तो यह है कि ऐसे नागरिक अधिकारों को छीनने वाला बिल पेश करके हम प्रजातंत्र का गला घोटने जा रहे हैं। आप यदि उस बिल के सारे के सारे सद्धान्तिक आधार को देखें तो आप को मालूम होगा कि जो आज तक कानून का बुनियादी सिद्धान्त रहा है, जो आज तक ज्युरिसप्रुडेन्स का आधारभूत सिद्धान्त रहा है कि मनुष्य को उसके कर्म, उसके कार्य और उस कार्य को करने के आधार पर सजा देनी चाहिए और यह सजा केवल सताधारी एग्जिक्युटिव के हाथ से नहीं, मंत्री महोदय के हाथ से नहीं, सरकार के हाथ से नहीं, लेकिन न्यायालयों के हाथ से मिलनी चाहिए; किन्तु जो बिल हमारे सामने पेश किया जा रहा है उसमें इस बुनियादी सिद्धान्त को छीना जा रहा है, उसको बदला जा रहा है। उससे यह अधिकार लिया जा रहा है कि यदि सरकार को यह महसूस हो, यदि वह आवश्यक समझे तो वह न सिर्फ लोगों के संगठनों पर, लोगों के प्रदर्शन, लोगों के सभा करने के हकों के ऊपर पाबन्दी लगा दे। बल्कि यहां तक का अधिकार लिया जा रहा है कि अगर सरकार यह महसूस करे, उसको यह तसल्ली हो जाय कि चाहे किसी मनुष्य ने कर्तव्य किया हो या नहीं, चाहे किसी मनुष्य ने कुछ नुक्सान किया हो या नहीं, चाहे किसी मनुष्य का जुर्म करने का इरादा हो या नहीं, अगर ऐसी परिस्थितियों में यह पाया जाता हो, जिससे यह तसल्ली हो सके कि उसका तोड़-फोड़ करने का इरादा था तो उसको भी जुर्मी करार कर दिया गया है उसके ऊपर भी सजा मुकर्रर कर दी गई है। जो शुरुआत है इस बिल की, वह यहीं से शुरू होती है। मेरा आपसे यह निवेदन है और सरकारी पक्ष से भी यह निवेदन है कि यदि आज हुकूमत चलाने के लिये यह आवश्यक होने लगा कि कोई कार्य करे या न करे, कोई एक्शन करे या न करे, चाहे जुर्म करने का इरादा हो या नहीं, महज इस आधार पर, कि हुकूमत को अन्देशा लग रहा है, कि आप.

लोगों को सजा दें तो उनकी आजादी का हक लिया जा सकता है। अगर आप चाहें तो उनको नजरबन्द करदें या उनको किसी विशेष गांव में रहने का आदेश दें। आप चाहें तो किसी जिले को छोड़कर चले जाने का आदेश देदें, या विशेष निर्दिष्ट स्थान पर रहने का आदेश देदें। आप चाहें तो किसी झंडे को, किसी निशान को गैर कानूनी घोषित करदें। सरकार चाहे तो किसी राजनैतिक पार्टी में कार्य करने का अधिकार छीन ले। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो प्रजातन्त्र की आज बारबार बात की जा रही है, वह प्रजातन्त्र का तरीका नहीं है; यह तो पुलिस सरकार का तरीका है।

मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इस कायदे से जो अधिकार लिये गये हैं वे अधिकार इस विधान में जो बुनियादी अधिकार यानी फन्डामेन्टल राइट्स दर्ज किये गये हैं, उनको छीनते हैं। यह कहा गया है कि फन्डामेन्टल राइट्स के लिये, बुनियादी अधिकारों के लिए कोई बन्धन नहीं लगाया जाय जब तक की वह रीजनेबल नहीं हो। हमारे और आपके विचारने का प्रश्न यह है कि क्या सरकार को यह खतरा महसूस हो लगा है कि यदि उसकी नाराजगी हो जाय, यदि उसको इस प्रकार का अन्देशा हो जाय कि कोई ऐसा दल है और कोई ऐसे दल का झन्डा हुकूमत और लॉ एण्ड आर्डर को, खतरे में डाल रहा हो तो, माननीय अध्यक्ष, उस पार्टी के झन्डे को, उस सिम्बल (Symbol) को, सब को, गैरकानूनी घोषित करने का हक हुकूमत ले ले? क्या इसका अर्थ यह नहीं होता कि विरोधी कार्यकर्ताओं को, हुकूमत का विरोध करने वाली पार्टियों को अब तक जो कानूनी हक था उसको ऐसे गैरकानूनी कानून बनाकर रोकथाम करने की कोशिश की जा रही है; और यह कहा जा रहा है की बहुतसी विकट परिस्थितियां पैदा हो ग हैं। यह भी कहा जायगा कि हमें कानून और व्यवस्था स्थापित करने के लिए इस प्रकार के कायदे की आवश्यकता है और यह भी कहा जायगा कि जब तक आवश्यकता नहीं होगी तब तक इस कायदे पर अमल नहीं होगा। लेकिन मैं आप के सामने यह पेश करना चाहता हूं कि जिस कानून के जरिये, जिन जिलाधीशों को, जिस हुकूमत को ऐसे अधिकार मिलते हैं, क्या उन्होंने आज तक की अपनी कार्यवाही से, आज तक के अपने कारनामों से, यह साबित नहीं कर दिया है कि वह बारबार ऐसे कायदों का विरोधी दल और विरोधी कार्यकर्ताओं और खासकर मजदूरों, किसानों और पीड़ित जनता के आन्दोलनों को संगठित करने वाले लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करती आ रहे हैं और करेंगे।

उन उद्योगों को, चाहे उन्हें सरकार खुद चलाती हो या कोई दूसरा चलाता हो और जिसको सरकार पब्लिक के लिये आवश्यक समझती हो; चाहे कोई भी उद्योग क्यों न हो, वहां के लोगों को अपने हकूकों को हासिल करने के लिये कोई आवश्यकता होती थी तो उनको हड़ताल करने का अधिकार था। लेकिन अब इस कायदे के माफिक, इतना खतरनाक क्लाज इसमें जोड़ा गया है, कि यदि कोई मनुष्य जाने या अनजाने में या किसी भी कारण से, जो जिम्मेवारी उसको दी गई है उसको अदा न करे तो यह मान लिया जायगा कि उसने तोड़फोड़ करके देश को

नुक्सान पहुंचाया है; इसलिये उसको सजा दी जावेगी । मैं आपके जरिये यह पूछना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष, माननीय मुख्य मंत्री से और ट्रेजरी बेन्चेज से, कि चाहे आपने अपने इस क्लॉज में उस बात को छिपाने के लिये यह दर्ज कर दिया है कि यह क्लाज कानूनी हड़तालों पर लागू नहीं होगा। लेकिन मुझे मालूम है कि एक तरफ तो यह कहा जाता है कि कानूनी हड़तालों पर यह क्लॉज लागू नहीं होगी और दूसरी तरफ नये कायदे पेश किये जाने वाले हैं जिनके अन्दर कोई भी कानूनी हड़ताल हो ही नहीं सकती। ऐसे कानून बनाये जावेंगे जिससे हर हड़ताल को गैर कानूनी करार दिया जायगा । यदि सरकारी मुलाजिम अपने हकूकों के लिये लड़ें और प्रयत्न करें और वे अपने काम पर न आवें तो महज इस वजह से कि उन्होंने अपनी ड्यूटी का अन्जाम नहीं दिया, उनको सजा देने का प्रयत्न किया जायगा।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या अंग्रेजों के जमाने के बने हुए कानून आज तक हम लागू करने जा रहे हैं? इस संबन्ध में मैं एक बात आपसे कह देना चाहता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में बने साम्राज्य-वादी कानूनों में भी इस बात का खयाल रखा गया था कि जुर्म करने वाले की मंशा क्या है, व इस बात का खयाल रखा गया था कि किस वजह से मजदूरों का देश में आन्दोलन हो रहा है । यह खयाल इसलिये रखा गया था कि जब तक इरादा नहीं हो तब तक वह जुर्म साबित नहीं माना जावेगा । लेकिन इस क्लॉज के जरिये जो ड्यूटी जिस व्यक्ति की है और अगर वह उसको अन्जाम करने के लिये तैयार नहीं है, चाहे वह किसी भी कारण से तैयार नहीं है; महज ऐसी चीज लेकर कि उसने कानून तोड़ कर जुर्म किया है, सरकार सजा दे सकती है।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिन सिद्धान्तों को लेकर हमारे विधान में नागरिक अधिकार दिये गये हैं क्या हम ऐसा करके उन अधिकारों को अब नागरिकों से वापिस नहीं छीन रहे हैं ? क्या हम ऐसा करके ऐसी हालत पैदा नहीं कर रहे हैं कि कोई भी पार्टी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर सकती, लड़ाई नहीं कर सकती ? मैं इस सिलसिले में एक दो बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आपके जरिये से, माननीय मुख्य मंत्री और ट्रेजरी बेंचेज के साथियों का कि जो यह कहा जा रहा है और बार बार यह कहा गया है कि प्रान्त में अव्यवस्था की हालत है, किसानों पर हमले हो रहे हैं, डाके पड़ रहे हैं, किसानों की जिन्दगी खतरे में है, ऐसे तत्व हैं जो समाज में रह कर देहातों के अन्दर जुल्म कर रहे हैं, बेदखलियां कर रहे हैं और जिन्होंने किसानों के जान और माल को खतरे में डाल रखा है, कह कर अपने असली इरादे को छुपाए; तो मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करूंगा उस कॉलम की ओर जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी ऐसा कार्य जो पुलिस करती है या जो पुलिस के अधिकारी का है उसे करना जुर्म है । कोई भला ही व्यक्ति चाहे मामूली लकड़ी हाथ में लेकर चलता हो तो पुलिस वाले उस पर पाबन्दी लगा सकते हैं और उसको गैर कानूनी करार दिया जावेगा ।

यदि किसान अपनी रक्षा के लिये कोई स्वयं रक्षा-दल बनाए, और यह बात जाहिर है कि सरकारी अधिकारियों के होते हुए भी उनकी रक्षा का

आज कुछ इन्तजाम नहीं है; तो उसके खिलाफ सरकार यह कहेगी कि किसानों का यह कार्य जनसुरक्षा के खिलाफ है और उस पर पाबन्दी लगाने का कॉलम इस्तेमाल कर; उनके बनाए हुए रक्षा-दल को गैरकानूनी करार दे दिया जावेगा। जब पुलिस कार्य करती नहीं और किसान अपने जान माल की हिफाजत के लिये रक्षा-दल बनावें, मोर्चे पर भेजें या भेजने के लिये तैयारी करें तो सरकार उस पर हमला करके रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि यह लॉ एन्ड ऑर्डर के लिये खतरा है। सबसे ज्यादा खतरनाक अधिकार इसमें जो दिये ह वे इस प्रकार के हैं कि यदि सरकार को यह महसूस हो कि किसी व्यक्ति को कार्यवाही करने से रोकना है या सरकार के जिलाधीश को यह महसूस हो कि किसी मनुष्य का कोई कार्यवाही करने का इरादा है या करने का अंदेशा है और उससे लॉ एन्ड ऑर्डर को खतरा है तो वे उसके खिलाफ हुक्म इसकानून के मातहत निकाल सकते हैं। वे लोग यह कह सकते हैं कि तुम फलां स्थान पर रहो, अमुक स्थान छोड़ दो, फलां जिले में रहो; गांव में रहो। सरकार यह भी इस कानून के मातहत कह सकती है कि तुम जिला छोड़ दो। दो महीने तक या इससे भी आगे करीब एक साल तक सरकार इस प्रकार के हुक्म देने का अधिकार अपने हाथ में रख सकती है। खास कर किसी विरोधी राजनैतिक आन्दोलन की प्रगति को समाप्त करने के लिये यह अधिकार सरकार अपने हाथों में ले रही ह, ऐसी मेरी साफ-साफ धारणा है। यह सरकार नहीं चाहेगी कि लोग जिस जगह से आवाज उठावें, वह उठाने दी जावे और उनको लॉ एन्ड ऑर्डर के बहाने रोक दिया जावे। हमारा संविधान कहता है कि हर एक व्यक्ति जहां चाहे। वहां रह सकता है, चाहे जहां घूम सकता है, अपना संगठन बनाने का उसको अधिकार है, आन्दोलन करने का अधिकार है। मगर हमारी हुकूमत कहती है कि इस हाथ से हम तुमको यह अधिकार देते हैं और उस हाथ से उन अधिकारों को लेते हैं। हमने अपने हाथ में अधिकार ले लिया है ऐसा हमारी सरकार कहती है, "जब चाहेंगे ले लेंगे, जिसे चाहेंगे दूसरी जगह ले जावेंगे, जिसे चाहेंगे उसे देश के एक कोने में भेज देंगे, कहीं भी रखेंगे।" उसकी आजीविका का भी कोई ध्यान नहीं रखा है। जिस आन्दोलन का, जिन अधिकारों का हमारे संविधान में उल्लेख है उसके खिलाफ भी हमारी सरकार हुक्म निकालेगी, तानाशाही हुक्म निकालेगी, हिटलरशाही हुक्म निकालेगी कि फलां व्यक्ति अमुक स्थान पर नहीं रहे। और ताज्जुब की बात तो यह ह कि किसी भी मनुष्य को प्रिवेन्टिव डिटेन्शन में डालने के लिये, जो कायदा पार्लियामेंट में बना, उसमें यह तो कह दिया गया है कि प्रिवेन्टीव डिटेन्शन में पकड़े हुए व्यक्तियों को एडवाइजरी बोर्ड के पास अमुक समय में पेश किया जायेगा, लेकिन राजस्थान सरकार, उसके गृह मंत्री, और माननीय मुख्य मंत्री ने हमारे सामने जो यह कायदा पेश किया है उसमें यह लिखा है, "जितना जल्दी होसके उतना जल्दी"—चाहे उसमें कई महिनें, साल बीत जायं; इतनी मामूली सी बात को सरकार खयाल करने के लिए तैयार नहीं है। यह जान बूझ कर दर्ज किया गया है, जिससे कि मौका पड़े तो तानाशाही से हुक्म निकाले जायं; कहीं Advisory Board के सामने जाने से हिचकिचाहट हो तो उस कायदे के सिलसिले में Advisory Board के सामने कुछ बातें पेश करने के लिए

ज्यादा से ज्यादा अर्सा बिताया जा सकता है। उसका नागरिक अधिकार चाहे जो रहा हो पर "As soon as" कह कर उसके मामूली हकों को भी छीन रहे हैं।

साम्राज्यवादी हुकूमत ने ऐसे २ कानून बनाये थे कि एक आदमी को जिसने जुर्म न भी किया हो और शायद उसके बारे में उसे कुछ पता भी नहीं हो उसको दंड, एक बहुत खतरनाक दंड दिया जा सकता है। सन् १९४२ में सरकार ने कानून बनाया था कि सरकार को यदि यकीन हो जाय कि उस गांव में ऐसा आदमी रहता था जिसने जुर्म किया है तो उस सारे के सारे गांव को दंड दे सकते हैं।

हम प्रजातंत्र की बातें करते हैं परन्तु जिस आदमी का जुर्म से ताल्लुक तक न हो, उसे ऐसे खतरनाक कायदे के मातहत–बेगुनाह आदमी को दंड देने के लिए सरकार इस कायदे को काम में लाना चाहती है। सारे गांव को दंड दिया जायगा। जिस आदमी ने ऐसा जुर्म नहीं किया है उसको भी इस कायदे के माफिक सजा दी जा सकेगी।

मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि क्या इस इलाके में ऐसी हालत पैदा हो गई है या कि सरकारी पक्ष को काम करने में रुकावट आ गई है और सरकार को अपनी स्थिति बनाए रखने में खतरा महसूस हो रहा है कि जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार, १९१४ से जो खतरनाक कायदे कानून बनाते आये, उन्हीं काले कानूनों को, सामूहिक दंड के कानूनों को बना रही है और सामूहिक दंड देकर लोगों के दिलों में सरकार का खौफ और दबदबा कायम करना चाहती है। अगर सरकार यह समझती है कि वह जनरल डायर जैसे कायदे पास करके ही अपनी स्थिति को कायम रख सकती है और इसे पास किये वगैर वह नहीं रह सकती तो मेरा कहना है कि उसे अलग हो जाना चाहिए।

उधर के कुछ सदस्यों से कहता हूं" याद करो वे दिन जब हम मैदानों में खड़े होकर कहते थे कि ऐसे काले कायदों का बहिष्कार किया जाय"। आज उन्हीं हाथों से यह काले कानून–कायदे पास करवा रहे हैं। हाउस के उस कक्ष में बैठने वाले बहुत से मेरे मित्र ऐसे हैं कि जिन्होंने कई सालों तक ऐसे खतरनाक कायदों के खिलाफ लड़ाई की है, जिन्होंने ऐसे कायदों का विरोध किया था। वे ही आज ऐसे काले कानूनों को, अपने विरोधियों को कुचलने के लिए तय्यार कर रहे हैं। अगर सरकार समझती है कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि आम जनता सरकार का विरोध कर रही है और वह सरकार से नाखुश है और जनरल डायर के कायदे पास किये वगैर हुकूमत नहीं चल सकती तो मैं यही कहूंगा कि ऐसी हुकूमत नहीं चलाना ही अच्छा है।

माननीय अध्यक्ष, मैंने वे बातें रखी हैं जो यह बताती हैं कि खतरनाक से खतरनाक अधिकार सरकार को इस कानून से दिये जाने को हैं। सारे हिन्दुस्थान में सन् १९४६ से ऐसे कायदे पास किये गये थे; न सिर्फ एक प्रान्त में बल्कि, मद्रास से लेकर पंजाब में, राजस्थान उस समय बना नहीं था; अतः राजस्थान की अलग २ रियासतों में ऐसे कायदे पास किये गये थे। इसके बाद संविधान आया।

(विचार जारी)

श्री टीकाराम पालीवाल:--On a point of Order, Sir. Is this House competent to discuss the measures adopted in other Legislatures.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Not audible, Sir.

श्री अध्यक्ष:--Only general principles can be discussed.

श्री हरीकृष्ण व्यास:–मैं यह अर्ज कर रहा था कि संविधान आया। अगर मुख्य मंत्री जी मेरे कहने से सिटपिटाते हैं तो ऐसे कायदे हो वापिस ले लें।

संविधान आया और उसके बाद क्या हुआ ? आज कोई यह नहीं कह सकता कि उसे मालूम नहीं है। एक के बाद एक हर प्रान्त और रियासतों में High Courts में और इस राज्य-व्यवस्था के मातहत जो अदालतें हैं उन्होंने ऐसे कायदों को अवैधानिक घोषित किया।

आपका यह जो कायदा पास किया जा रहा है वह न सिर्फ खतरनाक है, अवैधानिक है, बल्कि यह संविधान के बुनियादी सिद्धान्त को तोड़ने वाला है। इस लिए अधिकार नहीं है इस हाउस को कि ऐसे कायदों को पास करे। एक पंजाब को छोड़कर और दूसरी किसी रियासत में ऐसा कायदा लागू नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश, बंगाल, मद्रास, बम्बई आदि में संविधान आने के बाद ऐसा कायदा पास नहीं हुआ है। परन्तु हमारी सरकार इस दौड़ में सबसे आगे रहना चाहती है। आम लोगों के खाने–पीने, रहने की आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश सरकार नहीं करना चाहती; बल्कि पहला नम्बर हासिल करना चाहती है कि हमने लोगों का गला घोंटने का सबसे पहले प्रयत्न किया।

इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि ऐसे कानून को पास करना House की Legislative competence में नहीं है।

तीसरा जो प्रश्न मैं आपके सामने लाना चाहता हूं वह है सिद्धान्त के बारे में। जिन सिद्धान्तों का इस बिल के द्वारा खून किया गया है उनके बारे में मैंने पहले भी अर्ज किया था। अब तक हम यह मानते आये थे कि आदमी का इन्टेन्शन या आदमी की इच्छा या मंशा को साबित करने या न करने का कानून की दृष्टि से बहुत महत्व रहता है। तो क्या अब एक ऐसा कायदा हमारे लिये पास करना ठीक रहेगा जिसके आधार पर सरकार अपने हाथ में यहां तक अधिकार ले ले कि सेबोटेज (तोड़-फोड़) का शक होने पर ही सजा दे दी जाय। यह अधिकार यहां तक ले लिया गया है कि यदि कोई आदमी उस स्थान के पास से गुजरे और अधिकारी यह कह दे कि वह इधर से तोड़-फोड़ करने के इरादे से गुजरा था, उसकी बदकिस्मती से यदि वह बिजलीघर के नजदीक से, सड़क पर से गुजरा था या किसी दूसरे उद्योग-धंधे के नजदीक से गुजरा था और यदि कोई अधिकारी यह कह देता है कि मालूम होता है कि इसका जुर्म करने का इरादा था तो उसको सजा दी जासकती है। क्या हम ज्युरिसप्रुडेन्स के सिद्धान्तों का मखौल नहीं कर रहे हैं ? चाहे बड़े से बड़ा ट्रेजरी बेन्च का सदस्य होवे

या किसी न्यायालय का जज हो परन्तु यदि एक मामूली अफसर को यह मालूम पड़ जाय कि इसका इरादा तोड़-फोड़ करने या जुर्म करने का था तो इस बिल के अनुसार उसको यह सजा देने के लिए काफी है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या मामूली आदमी के कहने से इस प्रकार की सजा मिल जानी चाहिये ? यदि आप इस हद तक जाते हैं तो मैं कहूंगा कि इससे अधिक खतरनाक कोई चीज नहीं है। इसका मतलब यह होगा कि विरोधी विचार रखने वालों को या तो सरकार के सामने सर झुकाना होगा या अपना शहर या गांव छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर शरणार्थी की तरह रहना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के कायदे पेश किये जा रहे हैं मुख्य मंत्रीजी की ओर से और हमें कहा जा रहा है कि इस पर विचार कीजिये और इसे पास कराइये। मैं जोर देकर कहता हूं कि ऐसे कायदे की हमें आवश्यकता नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि ऐसे बिल को वापिस ले लिया जाय। इसे पास करके हमें राजस्थान की हालत को नहीं बिगाड़ना चाहिये क्योंकि हम कलंक का टीका नहीं लगाना चाहते। मैं जानता हूं कि मेरी आवाज बहरे कानों में पड़ेगी। मैं जानता हूं कि अपने बहुमत का इस्तेमाल करके आप इसे जल्दी से जल्दी पास कराना चाहेंगे और इस कायदे को इस्तेमाल किया जायगा, उन विरोधियों पर जिनका ताल्लुक मजदूरों और किसानों से है। लेकिन खतरे की घंटी के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि आज चाहे बहुमत से आप इसे पास करदें, आप जानते हैं कि आज काफी तादाद में आपका बहुमत है, यह सोच कर पास करदें, कि हम पांच साल तक तो सहीसलामत हैं; लेकिन मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि आपको अपने काले कारनामों का जवाब देना पड़ेगा। ऐसा काला कानून पास कराके आप ने केवल मामूली लोगों के हकों पर कुठाराघात कर रहे हैं बल्कि आप संविधान को धोखा दे रहे हैं। ऐसे कायदे को पास करके आप ऐसी हालत पैदा कर देंगे जिससे न केवल विरोधी पक्ष वालों को दुःख होगा बल्कि आम जनता को दुःख होगा और पुलिस राज्य कायम हो जायगा। इसका नतीजा यह होगा कि आम लोग आज नहीं तो कल आपसे इस बात का जवाब पूछेंगे। आप के पास इसका कोई जवाब है ही नहीं क्योंकि इसे पास करके आप नागरिक अधिकारों पर कुठाराघात करना चाहते हैं। आपको चुनने वाले मतदाताओं के अधिकारों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आप आज अपनी सत्ता के बल पर अपने अधिकारों को इस्तेमाल करने के लिये कायदे बना सकते हैं, लेकिन यह काला कानून उन लोगों का गला घोटेगा जिनके मतों से आप चुने जाकर यहां आये हैं। आप ऐसी परस्थिति पैदा करेंगे कि जिससे आपके खिलाफ आवाज निकालने वालों को सर झुकाना पड़ेगा या आवाज बंद करनी पड़ेगी। लेकिन आपके इस कायदे से इतिहास नहीं रुकेगा, चाहे आज आपके पास ताकत है; लेकिन आप इस इतिहास से सबक लीजियेगा कि हिन्दुस्तान में जो पुराने दमनकारी थे, उनका क्या हाल हुआ ? जो उनका हाल हुआ वही हाल इन नये दमनकारियों का भी होने वाला है; इस बात को मत भूलियेगा। जनता इस काले कानून को कभी सहन नहीं करेगी। मैं निवेदन करूंगा कि नागरिक अधिकारों के साथ आप खिलवाड़ मत करिये। विरोधियों के साथ सहयोग की भावना रखने की लच्छेदार बातों व नारों से फायदा उठाकर जबरदस्ती से इसे पास मत करियेगा। इस कायदे को पास न किया जाय व इस पर विचार करने

की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं मुख्य मंत्रीजी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह इस खतरनाक कायदे को पास न होने दे। यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री खेतसिंह:—माननीय अध्यक्ष, मैं इस बिल पर डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं समझता जब कि प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट जिन्दा है और उससे काम लिया जा रहा है। यदि मुख्य मंत्रीजी इसे लाना जरूरी ही समझते हैं और सरकार इसे लाने में ही अपना कर्तव्य समझती है, तो मेरा खयाल है और जैसा कि मेरे मित्र एच. के. व्यास ने कहा है, यदि हम हाउस में अच्छी परम्पराएं कायम करना चाहते हैं, जैसा कि मुख्य मंत्रीजी उपदेश दिया करते हैं, कि हम उसे अमल में नहीं लाते हैं। अच्छा होता कि यह कानून अपोजिशन बेन्च के सब सदस्य मौजूद होते उस समय लाया जाता। यह तो किसी को मालूम नहीं था कि आज ही यह कानून लाया जा रहा है। इसके लिए दिन भी मुकर्रर नहीं किया गया था। हम इस पर बहस करने के लिए तैयार हो कर भी नहीं आये हैं। अगर जिस तरह दूसरे कानून पास करते रहे हैं यदि इस कानून को भी इसी तरह पास करेंगे तो, मैं समझता हूं कि मुमकिन है, कोई ताज्जुब नहीं कि जो स्थिति दो चार दिन पहले थी वैसी ही और आ जाय। इतने महत्व का कानून अब तक इस सदन में नहीं आया है। यदि आप इसे जनरल डिस्कशन के लिए लाना चाहते हैं तो हाउस पूरा हो उसी दिन लाया जाना चाहिए; ताकि हम भी तैयार होकर आयें।

श्री ईश्वरीसिंह:—मैं या बात झाड़ साही भाषा में कहूं हूं जो कि ध्यान देन, सुनवा की जरूरत है। एक कानून बनायो जका में छः महीना गुजर गया। कई नौबत आई। ढाई सौ साल सूं अंग्रेज राज करो हो। कानून बनाया। कानून बनावा की तो या जरूरत है कि अछूतों के वास्ते जको सवाल चल रह्यो है, अछूत भाई हैं जका ने आपां में शामिल ले लिया जाय क्योंकि पहले कई भाई तंग आयने मुसलमानां सूं मिल गया वांके वास्ते अच्छो बर्ताव होनो चाहिजे। बर्ताव करवा में और कहवा में फर्क है। बांकी साथ में जको बर्ताव हो रह्यो है वो आच्छ्यो नहीं है। मैं राजस्थान रा दूसरा जगां की तो बात कोनी कहूंला पण सीकर रा पांन सौ गांवों की बात केणी चाहूं हूं। जका भूमिहीन अछूत किसान रे पास जमीन नहीं है वाने जमीन देणी चाहवूं। वांके वास्ते इन्तजाम कर्‌यो जाय। सैकड़ों अछूत काश्तकार है, सौ सौ साल से जकां भूमि माथे काबिज हा उणाने हटा दिया गया है, खेती छीन ली गई है और कह्यो गयो है कि अदालतां में दावा करे। अदालतां भी ऐसी बनाई की दो तीन हफ्ता में फैसलो दे दियो। दूसरी दफा एक कानून और बना दियो जिण में यो कह्यो गयो है कि काश्त जोंकी है उकीं रहेली। बीस बीस काश्तकार हा वांने डंडा का जोर सूं बेदखल कर दिया। हालत या हुई कि वे अन्न के बिना भूखा मर रह्या हैं। तो कई कानून बणे है? जो कानून बणे हैं वो हाउस में ही हाउस के वास्ते है या दुनिया पर भी इंको असर पड़ेला। प्रस्ताव राख्यो है बिल पर। काल आठ आदमी मांका कानी मिल ग्या। आठ उठीने चल्या ग्या। आछो काम हो रह्यो है प्रस्ताव पास होग्यो। खड़ी खेती लूट ली जाय,

अछूत भाइयों ने बेदखल कर दिया जाय, जांका दुःख रे दूर करवा वास्ते कानून बनाया गया है, वे कानून ऐस्या है कि उणा सूं वाने ही दुखः उठानों पड़े है । तो ये कानून तो अंग्रेजी राज सूं भी बढ़कर है जका में मनमानी तरह सूं पकड़ने ले जाता हा ।

दुनिया आज अतरी अणसमझ नहीं रही है कि जका १६० आदमी बैठा है वे दूसरां की भलाई को भी सोचे है कि नहीं या आपणो ही पेट भरे है; आबहवा में रहे है, ऐश आराम करे है । दुनिया ने उम्मीद या ही है कि म्हारे वास्ते भी कुछ करेला । मारी समझ में नहीं आई है कि उनके लिए भी या चीज की गई है । १६० आदमी दुनिया के वास्ते या चीज करी है । काश्तकार, गरीब मजदूर, छोटा २ दुकानदार रे वास्ते कई नई बात हुकूमत करी है । एक आदमी खड़ो व्हे सवाल कर्यो हो के ४० आदमियां ने बेदखल कराया जकां री ताइद रे वास्ते उणा रे पास फोटो है । कई हो सके है, असी हालत होवा पर । मन में तो भावना या यो है रामराज्य करवा वालां की ।

(श्री अध्यक्ष के स्थान में डा० मंगलसिंह, चेयरमेन, द्वारा, अध्यक्ष. पद पर आसीन होना)

जको कानून लायो गयो है वो सबरी मौजूदगी में लायो जातो तो ठीक हो । अंग्रेजां मारफत भी कई कानून बनाया गया हा, किन्तु वे कोनी ठहर सक्या हा । कांग्रेस द्वारा भी एस्या हीज कानून बनाया जावेला तो कोनी ठहर सकेला । म्हारो केवा को यो मतलब है कि एस्यो कानून नहीं बनायो जावे जको आगे जाकर सगलांरे आडे आवे । आप लोगों ने भी, अगर एस्या कानून बनाओ ला तो ईंको फल भुगतनो पड़ेला । न्याय के साथ ही राज्य हो सके है । न्याय चल्यो जाय तो फेर मैं आपने कह सकूं हूं कि आप ही चल्या जाओला ।

श्री जयनारायण व्यासः—यह बिल जो इस समय सदन के सम्मुख रखा गया है बहुत महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण बिल पर सोचने के लिए वक्त भी बहुत है । परन्तु जिन लोगों ने यहां से जाना पसन्द किया है वे सिर्फ पहले प्रस्ताव के सिलसिले में गये थे, वे अब तक वापिस नहीं आये हैं । मैं समझता हूं कि यह बहुत गलत बात होगी यदि हम उनकी अनुपस्थिति में, चाहे वह उनकी गलती की वजह से हो, इस पर विचार करें । मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि आज इस बिल के ऊपर विचार करना स्थगित कर दिया जाय। इसके महत्व को देखते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे । कल सब लोग आजायेंगे तब इस पर कल विचार किया जा सकता है ।

श्री टीकाराम पालीवालः—चेयरमेन महोदय, मुझे खेद है कि विरोधी दल ने, जैसा कि उन्होंने कहा था, उससे ज्यादा किया है । विरोधी दल के उपनेता ने यह कहा था, कि हम इस अविश्वास के प्रस्ताव की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे । खैर जो कुछ होना था, हुआ । इसके बाद तो मैं यह समझता था, जैसा कि उस समय दिखाई दिया कि वे सब लोग, जो कि सामने की लोबी में मौजूद थे,

अविश्वास के प्रस्ताव के बाद वापिस सदन में आजायेंगे; इसलिये मैंने यह बिल सदन के सम्मुख विचारार्थ पेश किया था। मैं यह समझ रहा था कि इस बिल पर जो बहस होगी उसमें वे भाग लेंगे। लेकिन उन्होंने जितना इरादा किया था उससे ज्यादा करके दिखाया; मुझे उम्मीद नहीं थी। इसलिये मैं यह गलत नहीं मानता कि इस समय इस बिल पर बहस जारी न रखी जाय क्योंकि आज की लिस्ट ओफ बिजनेस में साफ लिखा हुआ है कि इस अविश्वास के प्रस्ताव के अलावा १० तारीख का जो लेजिस्लेटिव बिजनेस बाकी था, वह लिया जायगा। विरोधी दल के एक माननीय सदस्य, श्री खेतसिंह ने यह कहा था कि यह बिल आज के प्रोग्राम में नहीं है। किन्तु मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, कि आज की लिस्ट ओफ बिजनेस में यह मौजूद है कि १० तारीख का जो लेजिस्लेटिव बिजनेस बाकी था वह लिया जायगा। ;इसके लिए यह कहना कि यह पहले सूचना नहीं थी; यह बात गलत है। ऐसी दशा में भी विरोधी दल ने ऐसा निर्णय क्यों किया, क्यों सूचना देने की कर्टसी नहीं बतायी कि वे आगे के बिजनेस में भाग लेंगे या नहीं ?

मैं समझता हूं कि यह महत्वपूर्ण कानून है और मैं चाहता हूं कि विरोधी दल के सज्जन भी इस में भाग लें। उन्होंने अपना कर्तव्य समझते हुए भी कर्तव्य का पालन क्यों नहीं किया; यह मैं नहीं समझ पाया मैं समझता हूं कि उन्हें अवसर दिया जाना चाहिये; इसलिये इस बिल पर आज विचार स्थगित रखा जाय। लेकिन यह परम्परा सही नहीं हो सकती। जिस किसी प्रश्न पर मतभेद होजाय वे चाहे उसे उस रूप में ले लें। यह एक स्पेशल केस है, इसलिये इस पर कल तक के लिए विचार स्थगित कर दिये जायं, अध्यक्ष महोदय, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है; किन्तु आगे के लिए प्रिसिडेन्ट न बनालें, विरोधी दल के लोग, यह भी ध्यान रखना आवश्यक है।

श्री हरिकिशन व्यास:--चेयरमेन महोदय, मैं एक छोटी सी चीज अर्ज करना चाहता हूं। "इस बिल पर बहस स्थगित रखी जाय," यह जो प्रस्ताव पेश किया गया है वह ठीक है; किन्तु आज का दिन वैसे ही प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस के लिए मुकर्रर किया गया है और यह तय हो गया था कि जो बिल या प्रस्ताव जिन पर बैलट हो चुके हैं, वे लिये जायेंगे; लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति वश यह मोशन रखा गया था। इस लिस्ट ओफ बिजनेस में यह दर्ज है 'The outsxanding business of the 10th October to be taken up, if necessary." हम तो इसका यह मतलब समझे कि यदि आवश्यक समझा जायगा तो लिया जायगा, नहीं तो नहीं। लीडर आफ दी हाउस ने इस प्रकार से अनिश्चित बात इसलिए रखी कि बहस का नोटिस अनिश्चित तरीके से रखा जाय। मेरी प्रार्थना है कि इस बहस को आगे खिसका दिया जाय। प्राइवेट मेम्बर्स बिल, बिजनेस आदि के लिये दिन मुकर्रर हो चुका है इसलिये जल्दी से जल्दी प्राइवेट मेम्बर्स का बिजनेस लिया जाय। कल प्राइवेट मेम्बर्स दिन रख लिया जाय व परसों यह ले लिया जाय; इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं। यह तो आपके तय करने का विषय है।

श्री टीकाराम पालीवाल:—चेयरमेन महोदय, मुझे इसमें ऐतराज नहीं है कि प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस लिया जाय; लेकिन में यह जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि लिस्ट ओफ बिजनेस में कोई एम्बीग्विटी (ambiguity) नहीं है; साफ लिखा गया है कि १० तारीख का जो काम बाकी है, लेजिस्लेटिव बिजनेस का, वह लिया जायगा।

श्री हरिकिशन व्यास:—"इफ नैसेसरी" से आप क्या मतलब लेते हैं ?

श्री जयनारायण व्यास:—चेयरमेन महोदय; इस बहस में पड़ने की जरूरत नहीं। मैंने जो "इस बिल पर बहस कल तक के लिए स्थगित रखी जाय" का मोशन रखा है उसकी जगह "नेक्स्ट आफिशियल वर्किंग डे तक के लिए इस बिल पर बहस स्थगित कर दी जाय" मान लिया जाय।

श्री चेयरमेन (डा० मंगलसिंह):—प्रश्न यह है, सदन के सामने कि जो राजस्थान राज्य सुरक्षा बिल, १९५२, पेश करने की इजाजत मांगी है उस पर विरोधी दल के सदस्यों के उठ जाने से श्री जयनारायण व्यास ने इस पर बहस को स्थगित करने की बात रखी है; इसके पक्ष में जो लोग हों कि इस पर बहस नेक्स्ट आफिशियल डे तक के लिए स्थगित कर दी जाय, वे कृपया अपना हाथ उठायें।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

इस बिल पर बहस नेक्स्ट आफिशियल वर्किंग डे तक के लिए स्थगित की जाती है

श्री हरिकिशन व्यास:—क्या प्राइवेट मेम्बर्स के लिए दिन मुकर्रर कर दिया गया ह ?

श्री चेयरमेन (डा०मंगलसिंह):—श्री अध्यक्ष से पूछकर कार्य-सूची सदस्यों के पास भेज दी जायगी।

(विराम)

सदन की बैठक कल बुधवार दिनांक २२ अक्टूबर के ८-३० बजे तक के स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक १०-३० प्रातः बुधवार २२ अक्टूबर, १९५२, के ८-३० बजे तक के लिये स्थगित हुई)

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

सभा भवन
जयपुर,
दिनांक २१ अक्टूबर, १९५२

———